न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या
90ए/2024

तारीख दायरा
01.10.2024

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1. बशीरखां पुत्र मौलेखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
2. अब्बास अली
3. इलियासखांन
4. यूनस अली खांन
5. हनीफ खान पुत्रगण असगरखां समस्त जाति कायमखानी के निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला' सीकर राज०

वादीगण

बनाम

1. लियाकत अली पुत्र बशीरखां (जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से लियाकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां लिखा हुआ है।)
2. शोकत अलीं पुत्र असगरखां (जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से शोकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां लिखा हुआ है!)
3. अलीशेरखानं पुत्र असगरखां
4. मूदी पुत्री असगरखां
5. अमीन बानो पुत्री असगरखां
   समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
6. तहसीलदार (भूमि धारक) फतेहपुर जिला सीकर राज०
7. हल्का पटवारी पटवार हल्का बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

...प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा एवं संशोधन सरका०अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण – श्री इमरान खान

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण– श्री राजेन्द्र शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः 17.01.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.4700 हैक्टयर वाके ग्राम बेसवा तहसीन फतेहपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की वंशावली निम्न प्रकार है :–

मौलेखां फौत

जाफरखां बशीरखां मौजूद असगरखां फौ

लाऔलाद फौत

1. शोकत अलीं
2. अब्बास अली
3. इलियासखांन
4. युनुस अली खां
5. हनीफखांन
6. अलीशेरखांन
7. मूदी पुत्री
8. अमीन बानो

वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता स्व० असगरखां व स्व० जाफरखां तीन भाई थें जिसमें से वादी संख्या 1 का भाई जाफरखां लाऔलाद फौत हो गया स्व० जाफरखां के लाऔलाद फौत हो जाने के बाद बेसवा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर के खातेदार जाफरखां की जगह उसकी कृषि भूमि बशीरखां व असगरखां को विरासतन दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु स्व० जाफरखां की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 09–01–1967 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि भाग का सर्वथा गलत व अवैध रूप से बन गया जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के उक्त भूमिं के हक अधिकारों के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन है अतः उक्त नामान्तरण संख्या 134 कतई गलत होने से निरस्त उद्घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 स्व० जाफरखां व असगरखां के वैध वारिस होने व उक्त कृषि भूमि पर पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग पर भौतिक कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से आज तक होने से वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 का व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि भाग उद्घोषित करवाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निरस्त उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बने गलत व अवैध खाते के आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 आपस में साज कर उक्त कृषि भूमि को विकय अथवा अन्यथा अन्तरण करने करवाने को तथा उक्त भूमियों के वादीगण के पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलवाने को करीब 10 दिन से तत्पर हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार कतई नहीं है प्रतिवादीगण अगर उक्त भूमि का अन्तरण करने करवाने में व वादीगण के उक्त भूमि के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलाने में सफल हो गये तो वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी सम्भव नहीं होगी और अनावश्यक रूप से वाद बहुलता बढेगी।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के उक्त भूमिं के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से बाज रहने तथा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 में विरासतन भूमि भाग उद्घोषित करवा खाता वादीगण के नाम संशोधित करवा देने तथा उक्त भूमिं का विकय अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से अन्तरण करने करवाने से बाज रहने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे बाद टालमटोल अब 2 दिन से स्पष्ट इन्कार है इसलिये उनके विरुद्ध यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ जिस वाद कारण व हक नालिश वादीगण को हासिल है।

खसरा नम्बर 765 वाके ग्राम बेसवा की वर्तमान जमाबन्दी में लियाकत अली खां पुत्र अस्त अलीखां, व शोकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज हुई है जबकि पूर्व में खातेदारी लियाकत अली खां पुत्र जाफरखां व शोकत अलीखां पुत्र असगरखां के नाम खातेदारी कतई गलत रूप से दर्ज हुई थी उनकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

वादग्रस्त भूमियां मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार के गांव बेसवा में अवस्थित होने से इस वाद का श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को हासिल है।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 लोक सेवक हैं जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उनको धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का है इसलिये नोटिस दिये बिना ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु आवेदन 80 (2) पृथक से प्रस्तुत है।

वाद वादीगण निर्धारित न्यायशुल्क पर सावधि पेश है ।

वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर वा ग्राम बेसवा के नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांकित 09–01–1967 को निरस्त उदघोषित किया जावे व उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा भूमि भाग के काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा खाता बनाम अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निरस्त उद्घोषित किया जावे।

अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा एड0 वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया। सशपथ बयान गवाह बशीर खां (पीडब्ल्यू 1) के पेश हुए। गवाह बशीर खां द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि उपरोक्त उनवानी वाद में मैं वादी के रूप में पक्षकार हूँ जिसमें दर्ज तथ्यों से मैं भली भांति परिचित हूँ। भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.4700 हैक्टयर वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित है।

मेरे पिता के हम तीन सन्तान जाफरखां, बशीरखां, असगरखां हुये जिसमें से मेरा भाई जाफरखां लाऔलाद फौत हो गया स्व० जाफरखां के लाऔलाद फौत हो जाने के बाद बेसवा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर के खातेदार जाफरखां की जगह उसकी कृषि भूमि बशीरखां व असगरखां को विरासतन दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु स्व० जाफरखा की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 09–01–1967 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि भाग का सर्वथा गलत व अवैध रूप से बन गया जो हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के उक्त भूमिं के हक अधिकारों के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन है अतः उक्त नामान्तरण संख्या 134 कतई गलत होने से निरस्त उद्घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 स्व० जाफरखां व असगरखां के वैध वारिस होने व उक्त कृषि भूमि पर पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग पर भौतिक कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से आज तक होने से मुझ वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 का व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि भाग उद्घोषित करवाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निरस्त उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बने गलत व अवैध खाते के आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 आपस में साज कर उक्त कृषि भूमि को विकय अथवा अन्यथा अन्तरण करने करवाने को तथा उक्त भूमियों के हम वादीगण के पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलवाने को तत्पर हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार कतई नहीं है प्रतिवादीगण अगर उक्त भूमि का अन्तरण करने करवाने में व हम वादीगण के उक्त भूमि के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलाने में सफल हो गये तो हम वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी सम्भव नहीं होगी और अनावश्यक रूप से वाद बहुलता बढेगी। हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हम वादीगण के उक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से बाज रहने तथा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 में विरासतन भूमि भागा उद्घोषित करवा खाता हम वादीगण के नाम संशोधित करवा देने तथा उक्त भूमि का विकय अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से गरम करने करवाने से बाज रहने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे बाड वालमटोल स्पष्ट इन्कार हो गये जिस कारण हमारे द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 765 वाके ग्राम बेसवा की वर्तमान जमाबन्दी लियाकत अली खां पुत्र अस्त अलीखां, व शोकत अलीखां पुत्र अस्त अलीख दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज हुई है जबकि पूर्व खातेदारी लियाकत अली खां पुत्र जाफरखां व शोकत अलीखां पुत्र असगरख् के नाम खातेदारी कतई गलत रूप से दर्ज हुई थी उनकी जगह ह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श डाला जावे तथा हमारा दाब डिकी किया जावे। गवाह बशीर खां ने मुख्य परीक्षण पूर्ण किया। मुख्य परीक्षण में दावे के सलंग्न जमाबंदी संवत् 2074–77 जो प्रदर्श–1 है, मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श–2 है, जमाबंदी संवत् 2045–52 जो प्रदर्श–3 है, जमाबंदी संवत् 2045–48 जो प्रदर्श–4 है, जमाबंदी संवत् 2041–44 जो प्रदर्श–5 है, जमाबंदी संवत् 2032–35 जो प्रदर्श–6 है, जमाबंदी संवत् 2020–25 जो प्रदर्श– 7 है, जमाबंदी संवत् 2020–23 जो प्रदर्श–8 है, जमाबंदी संवत् 2015–18 जो प्रदर्श–9 है एवं नामान्तकरण की नकल जो प्रदर्श – 10 है। मेरा दावा डिकी फरमाया जावे।

सशपथ बयान गवाह युनस अली (पीडब्ल्यू 2) के पेश हुए। गवाह बशीर खां द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि उपरोक्त उनवानी वाद में मैं वादी के रूप में पक्षकार हूँ जिसमें दर्ज तथ्यों से मैं भली भांति परिचित हूँ। भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.4700 हैक्टयर वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित है।

मेरे दादा मौलेखां के तीन सन्तान जाफरखां, बशीरखां, असगरखां हुये जिसमें से मेरे पिता के भाई जाफरखां लाऔलाद फौत हो गया स्व० जाफरखां के लाऔलाद फौत हो जाने के बाद बेसवा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर के खातेदार जाफरखां की जगह उसकी कृषि भूमि बशीरखां व मेरे पिता असगरखां को विरासतन दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु स्व० जाफरखां की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 09–01–1967 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि भाग का सर्वथा गलत व अवैध रूप से बन गया जो हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के उक्त भूमि के हक अधिकारों के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन है अतः उक्त नामान्तरण संख्या 134 कतई गलत होने से निरस्त उद्घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 स्व० जाफरखां व असगरखां के वैध वारिस होने व उक्त कृषि भूमि पर पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग पर भौतिक कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से आज तक होने से मुझ वादी व वादीगण संख्या 23,5 का व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि भाग उद्घोषित करवाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निरस्त उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बने गलत व अवैध खाते के आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 आपस में साज कर उक्त कृषि भूमि को विकय अथया अन्यथा अन्तरण करने करवाने को तथा उक्त भूमियों के हम वादीगण के पैत्रिक हिस्सा भूमि भाग के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलवाने को तत्पर हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार कतई नहीं है प्रतिवादीगण अगर उक्त भूमि का अन्तरण करने करवाने में व हम वादीगण के उक्त भूमि के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलाने में सफल हो गये तो हम वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी सम्भव नहीं होगी और अनावश्यक रूप से वाद बहुलता बढेगी।

हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हम वादीगण के उक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से बाज रहने तथा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 में विरासतन भूमि भाग उद्‌घोषित करवा खाता हम वादीगण के नाम संशोधित करवा देने तथा उक्त भूमि का विक्रय अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से अन्तरण करने करवाने से बाज रहने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे बाद टालमटोल स्पष्ट इन्कार हो गये जिस कारण हमारे द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया ।

खसरा नम्बर 765 वाके ग्राम बेसवा की वर्तमान जमाबन्दी में लियाकत अली खां पुत्र अस्त अलीखां, व शोकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज हुई है जबकि पूर्व में खातेदारी लियाकत अली खां पुत्र जाफरखां व शोकत अलीखां पुत्र असगरखा के नाम खातेदारी कतई गलत रूप से दर्ज हुई थी उनकी जगह हमा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श डाला जावे तथा हमारा दावा डिकी किया जावे।

गवाह ने युनस अली ने मुख्य परीक्षण पूर्ण किया। जिरह प्रतिवादी शून्य है। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी हेतु इन्कार किया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन कि[illegible] दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनु[illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित आराजी पैतृक सिद्ध हो जाने से वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर वाके ग्राम बेसवा के नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांकित 09–01–1967 को निरस्त किया जाकर उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 को 1/2 हिस्सा भूमि भाग के काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है एवं वर्तमान खाता निरस्त किया जाता हैं।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

इजलास.....दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस..).....

1. बशीरखां पुत्र भौलेखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
2. अब्बास अली
3. इलियासखांन
4. यूनस अली खांन
5. हनीफ खान पुत्रगण असगरखां समस्त जाति कायमखानी के निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

वादीगण

बनाम

1. लियाकत अली पुत्र बशीरखां (जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से लियाकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां लिखा हुआ है।)
2. शोकत अली पुत्र असगरखां (जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से शोकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां लिखा हुआ है!)
3. अलीशेरखानं पुत्र असगरखां
4. मूदी पुत्री असगरखां
5. अमीन बानो पुत्री असगरखां
   समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
6. तहसीलदार (भूमि धारक) फतेहपुर जिला सीकर राज०
7. हल्का पटवारी पटवार हल्का बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

...प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा एवं संशोधन सरका०अधिनियम 1955

मुकद्दमा नं.....90ए.....सन्....2024.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री इमरान खान एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....श्री राजेन्द्र शर्मा एडवोकेट .....

.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 765 रकबा 3.47 हैक्टयर वाके ग्राम बेसवा के नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांकित 09–01–1967 को निरस्त किया जाकर उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 को 1/2 हिस्सा भूमि भाग के काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है एवं वर्तमान खाता निरस्त किया जाता है

रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

उपखण्ड अधिकारी

SDO FATEHPUR/90A/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

मिल......– ....मुबलिग..................–......................बाबत..........................–..........................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से
तरीख अदायगी तक..का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....17.......माह ......जनवरी..........सन् 2025 को
जारी की गई।

दस्तखत..

मुहर ओहदा.......(दमयन्ती कंवर)........................
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	2		मुतफरिक	–	
मीजान	5			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested